

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :143 / प्र0अ0-भवन / जोन-1 / 2012-13 दिनांक 29 / 01 / 2013

अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर **रीटेल आउट-लेट का मानचित्र (Modernization)** स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री राजेश सिंह, प्रबन्धक, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आराजी संख्या-793/1 मौजा-बेगम बाजार, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल **रीटेल आउट-लेट मानचित्र** के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
- यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक **Mandatory Clearances/N.O.C** की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
- स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
- स्थल पर वन-नीति के अनुसार वृक्षा-रोपण करना आवश्यक है।
- स्थल का उपयोग/अधिभोग स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही करना होगा, अन्यथा की स्थित में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापत्ति दिनांक 22.01.2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः पालन करना होगा तथा अन्तिम अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
- यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भूखण्डों का उप-विभाजन अथवा पार्क एवं रोड इत्यादि का अतिक्रमण विकासकर्ता द्वारा किया जाता है तो इ0वि0प्र0 द्वारा नियमानुसार उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
- गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
- आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
- यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

माननीय सचिव
29/01/2013
9648937005

(गुडाकेश शर्मा)
संयुक्त सचिव/प्र0अ0-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद

D-DOOR W-WINDOW GW-GLASS WINDOW
 A-VENTILATION A-STEEL
 It is certified that Building Plan has been prepared according
 to Master Plan 2021 Zonal Plan and Master Layout 2008
 FLOORING TO BE DIMENSIONAL 54MM X 54MM
 EXISTING TO BE DIMENSIONAL 54MM X 54MM

- NOTES:
1. All dimensions are in meters unless otherwise specified.
 2. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 3. The area of the building is 44.00 sq.m.
 4. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 5. The area of the room is 11.87 sq.m.
 6. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 7. The area of the building is 44.00 sq.m.
 8. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 9. The area of the room is 11.87 sq.m.
 10. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 11. The area of the building is 44.00 sq.m.
 12. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 13. The area of the room is 11.87 sq.m.
 14. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 15. The area of the building is 44.00 sq.m.
 16. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 17. The area of the room is 11.87 sq.m.
 18. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 19. The area of the building is 44.00 sq.m.
 20. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 21. The area of the room is 11.87 sq.m.
 22. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 23. The area of the building is 44.00 sq.m.
 24. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 25. The area of the room is 11.87 sq.m.
 26. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 27. The area of the building is 44.00 sq.m.
 28. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 29. The area of the room is 11.87 sq.m.
 30. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 31. The area of the building is 44.00 sq.m.
 32. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 33. The area of the room is 11.87 sq.m.
 34. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 35. The area of the building is 44.00 sq.m.
 36. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 37. The area of the room is 11.87 sq.m.
 38. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 39. The area of the building is 44.00 sq.m.
 40. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 41. The area of the room is 11.87 sq.m.
 42. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 43. The area of the building is 44.00 sq.m.
 44. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 45. The area of the room is 11.87 sq.m.
 46. The area of the plot is 1088.51 sq.m.
 47. The area of the building is 44.00 sq.m.
 48. The area of the canopy is 224.00 sq.m.
 49. The area of the room is 11.87 sq.m.
 50. The area of the plot is 1088.51 sq.m.

S.NO.	PARTICULARS	AREA/M ²
1	TOTAL AREA OF PLOT	1088.51
2	ROOM AREA	11.87
3	NET AREA	1076.64
4	CANOPY AREA	224.00
5	AREA OF G. ROOM	11.87
6	AREA OF MASS BLDG.	44.00
7	TANKAGE / DETAILS	2
8	DISPENSERS	1
9	DISPENSERS	1
10	DISPENSERS	1
11	DISPENSERS	1
12	DISPENSERS	1
13	DISPENSERS	1
14	DISPENSERS	1
15	DISPENSERS	1
16	DISPENSERS	1
17	DISPENSERS	1
18	DISPENSERS	1
19	DISPENSERS	1
20	DISPENSERS	1
21	DISPENSERS	1
22	DISPENSERS	1
23	DISPENSERS	1
24	DISPENSERS	1
25	DISPENSERS	1
26	DISPENSERS	1
27	DISPENSERS	1
28	DISPENSERS	1
29	DISPENSERS	1
30	DISPENSERS	1
31	DISPENSERS	1
32	DISPENSERS	1
33	DISPENSERS	1
34	DISPENSERS	1
35	DISPENSERS	1
36	DISPENSERS	1
37	DISPENSERS	1
38	DISPENSERS	1
39	DISPENSERS	1
40	DISPENSERS	1
41	DISPENSERS	1
42	DISPENSERS	1
43	DISPENSERS	1
44	DISPENSERS	1
45	DISPENSERS	1
46	DISPENSERS	1
47	DISPENSERS	1
48	DISPENSERS	1
49	DISPENSERS	1
50	DISPENSERS	1

